भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1708
10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में केले का उत्पादन

1708. श्री मणि ए:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में, विशेषकर धर्मपुरी जैसे प्रमुख उत्पादक जिलों में केले के उत्पादन की वर्तमान स्थिति और विगत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रफल, उपज और उत्पादन के रुझानों की समीक्षा की है;

(ख) उपरोक्त राज्य में उक्त मुद्दों को संबोधित करने के लिए केंद्रीय योजनाओं और हस्तक्षेपों, जिनमें बेहतर रोपण सामग्री वितरण, रोग प्रतिरोधी किस्में और एकीकृत कीट प्रबंधन सहायता प्रदान करना शामिल है, का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में केले के मूल्य श्रृंखला समर्थन, शीत भंडारण और बाजार संपर्क अवसंरचना हेतु आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि कितनी है; और

(घ) धर्मपुरी और अन्य संवेदनशील जिलों में प्रभावित केला उत्पादकों को कीमतों को स्थिर करने, उत्पादकता बढ़ाने, प्रसंस्करण और निर्यात के अवसरों का विस्तार करने और प्रत्यक्ष राहत या बीमा सहायता प्रदान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के लिए वर्ष 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, तमिलनाडु में केले का उत्पादन 49.02 लाख टन रहा है। तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में केले के क्षेत्रफल और उत्पादन में वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक वृद्धि दर्ज की गई है।

पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान तमिलनाडु और इसके प्रमुख उत्पादक जिलों के साथ-साथ धर्मपुरी जिले में केले के क्षेत्रफल, उपज/उत्पादकता और उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

तमिलनाडु राज्य और इसके प्रमुख उत्पादक जिलों सहित धर्मपुरी जिले में केले की फसल का क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज/उत्पादकता

क्षेत्रफल हेक्टेयर में; उत्पादन मीट्रिक टन में; उपज मीट्रिक टन/ हेक्टेयर में									
जिले का नाम	**2022-23**			**2023-24**			**2024-25**		
	क्षेत्र	**उत्पादन**	**उपज**	**क्षेत्र**	**उत्पादन**	**उपज**	**क्षेत्र**	**उत्पादन**	**उपज**
इरोड	20075	737133	36.7	22053	954669	43.3	22140	774892	35.0
थूथुकुडी	8648	370982	42.9	9227	469945	50.9	8777	447605	51.0
थेनी	6732	463093	68.8	6921	317691	45.9	6698	435396	65.0
कोयंबटूर	9123	370907	40.7	9784	316904	32.4	9397	406880	43.3
त्रिची	5991	219595	36.7	5919	290782	49.1	5769	282693	49.0
तिरुनेलवेली	6326	182172	28.8	5064	209782	41.4	5887	241380	41.0
धर्मपुरी	1165	46479	39.9	1392	53239	38.3	1726	65588	38.0
तमिलनाडु राज्य	**109366**	**4522616**	**41.4**	**113861**	**4719951**	**41.5**	**114715***	**4901653***	**42.7***

स्रोत: बागवानी सांख्यिकी इकाई, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी एवं वृक्षारोपण फसल विभाग, तमिलनाडु राज्य;
नोट: '*': तमिलनाडु राज्य में केले की फसल का क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज/उत्पादकता बागवानी फसलों के वर्ष 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार है।

(ख) से (घ): समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें फल (केले सहित), सब्जियाँ, जड़ और कंद फसलें, मशरूम, मसालें, फूल, सुगंधित एवं औषधीय पौधे, नारियल, काजू और कोको शामिल हैं। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एमआईडीएच योजना के अंतर्गत आते हैं।

एमआईडीएच के तहत, केले (सकर और टिशू कल्चर दोनों) के क्षेत्र विस्तार के लिए, बिना एकीकरण के, रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम की लागत को पूरा करने के लिए अधिकतम अनुमत लागत के 40% की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

एमआईडीएच के तहत, फसल उपरांत प्रबंधन (पीएचएम) और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें पैक हाउस, कोल्ड रूम, प्री-कूलिंग यूनिट, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण, राइपनिंग चैंबर, रीफर परिवहन, ग्रामीण बाजार, खुदरा बाजार, वेंडिंग कार्ट, खुदरा रीफर वैन आदि शामिल हैं। ये सुविधाएं केले सहित सभी बागवानी फसलों के लिए उपलब्ध हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केले की मूल्य श्रृंखला सहायता, कोल्ड स्टोरेज और बाजार संपर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु सरकार को एमआईडीएच के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटन (भारत सरकार का हिस्सा)	जारी (भारत सरकार का हिस्सा)	उपयोग की गई राशि (भारत सरकार का हिस्सा)
2022-23	102.50	102.40	103.73
2023-24	120.00	120.00	101.92
2024-25	80.00	80.00	58.41

नोट: रिपोर्ट में उल्लिखित उपयोग की गई धनराशि में, पिछले वर्षों की अप्रयुक्त शेष राशि भी शामिल है।

तमिलनाडु में केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवाई) के तहत केले के पौधों के लिए बैक एन्डेड सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। उक्त योजना के तहत, वर्ष 2024-25 में 115 हेक्टेयर क्षेत्र को 30.19 लाख रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 26,250 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की गई थी और चालू वर्ष में 370 हेक्टेयर क्षेत्र को 97.68 लाख रुपये के व्यय के साथ 26,400 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आईसीएआर-राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र (एनआरसीबी), तिरुचिरापल्ली ने अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना स्कीमों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (प्रमाणित टिशू कल्चर पौधे) की आपूर्ति, उच्च घनत्व रोपण (एचडीपी) तकनीक, ड्रिप और फर्टिगेशन तकनीक, जैविक खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग सहित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) पद्धतियों (आईसीएआर-एनआरसीबी द्वारा विकसित केले का सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण 'केला शक्ति' या आईसीएआर-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बेंगलुरु की तकनीक 'केला स्पेशल'), गुच्छों पर छिड़काव और गुच्छों को ढकने की तकनीक, आईसीएआर-एनआरसीबी द्वारा विकसित जैव-सूत्रों की आपूर्ति के माध्यम से एकीकृत नाशीजीव और रोग प्रबंधन (आईपीडीएम), फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कटाई पूर्व और फसलोपरांत प्रबंधन तकनीकों आदि के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण केले के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया है। केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से नेय पूवन किस्म के गुणवत्तापूर्ण (रोग-मुक्त) टिशू कल्चर पौधे लाभार्थियों को वितरित किए जाते हैं ताकि क्षेत्रफल में विस्तार किया जा सके। उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत उच्च-तकनीकी उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा है, जिनमें ड्रिप/फर्टिगेशन, सूक्ष्म पोषक तत्व (आईसीएआर-एनआरसीबी का केला शक्ति) स्प्रे, आईपीएम/आईडीएम कार्यनीतियां शामिल हैं।

केले सहित बागवानी उत्पादों की कीमतें मांग और आपूर्ति, अपक्षयशीलता, समय पर विपणन आदि कारकों से प्रभावित होती हैं। सरकार, प्रधानमंत्री-आशा योजना के अंतर्गत बाजार हस्तक्षेप

योजना (एमआईएस) लागू करती है, जिसका उद्देश्य केले सहित उन कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद करना है जो शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति के हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन उत्पादों के उत्पादकों को बंपर फसल होने पर, आवक के चरम समय में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से कम हो जाती हैं, तो मजबूरी में बिक्री करने से बचाना है। एमआईएस की पीडीपीएस योजना के तहत, बाजार मूल्य बाजार हस्तक्षेप मूल्य से कम होने पर बागवानी फसलों के लिए मूल्य में अंतर का भुगतान करने के लिए किया जाता है, जहां राज्य सरकार को कोई वास्तविक खरीद करने की आवश्यकता नहीं होती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की समग्र स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), 2021-22 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और वर्ष 2020-21 से केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (पीएमएफएमई) योजना को लागू कर रहा है। इन योजनागत हस्तक्षेपों का उद्देश्य फलों और सब्जियों सहित कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और संरक्षण के स्तर को बढ़ाना है, जिससे फलों और सब्जियों की बर्बादी/खराब होने को कम किया जा सके।

देश में 2016-17 से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। यह योजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसल-उपरांत तक गैर-निवारणीय प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। तमिलनाडु में, वर्ष 2016 के रबी सीजन से खरीफ और रबी दोनों सीजनों के लिए केले को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत अधिसूचित किया गया है।

भारत से, विशेषकर तमिलनाडु से, केले के निर्यात में कई समस्याएँ और चुनौतियाँ हैं, जैसे कि भारतीय केले का छोटा आकार और प्रमुख विकसित बाजारों से भौगोलिक दूरी के कारण लंबा परिवहन समय, जिससे गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इन समस्याओं और चुनौतियों का समाधान केले के लिए समुद्री प्रोटोकॉल विकसित करके, हितधारकों को वैश्विक स्तर पर स्वीकृत कैवेंडिश किस्म के केले के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करके, किसानों को गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं के बारे में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करके और अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाकर किया जा रहा है।

*****